रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237278 CG-DL-E-14072022-237278

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] No. 493] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944 NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

सा.का.िन. 531(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पिठत धारा 11 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग के परामर्श से आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 हैं।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ,-
  - (क) ''अधिनियम'' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत हैं।
  - (ख) ''आयोग'' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अभिप्रेत है ।
  - (ग) ''अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

4650 GI/2022 (1)

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमे में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है ।
- 3. आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की संख्या, वेतन और भत्ते.- आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की संख्या, वेतन और भत्ते तथा उनकी भर्ती की पद्धित इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।
- **4. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- **5. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 6. निरर्हता : वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. नियुक्ति प्राधिकारी.- आयोग का अध्यक्ष, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।
- 8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए प्रकिया.- (1) सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए प्रकिया निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-
  - (क) आयोग, विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
  - (ख) ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएंगी ;
  - (ग) (i) स्तर 9 और उससे ऊपर के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:
    - 1. सदस्य सचिव अध्यक्ष;
    - 2. निदेशक सदस्य:
    - 3. उपसचिव सदस्य।
    - (ii) स्तर 8 और उससे नीचे के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:
    - 1. निदेशक अध्यक्ष;
    - 2. उपसचिव सदस्य:
    - 3. अवर सचिव सदस्य।
  - (2) छानबीन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से छानबीन समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी ।
- 9. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में छानबीन के लिए प्रक्रिया.- (1) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में छानबीन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थातु:-
  - (क) आयोग रिक्त पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ;
  - (ख) ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएंगी;
  - (ग) (i) स्तर 9 और उससे ऊपर के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:
    - 1. सदस्य सचिव अध्यक्ष:
    - 2. निदेशक सदस्य;
    - 3. उपसचिव सदस्य।
    - (ii) स्तर 8 और उससे नीचे के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

- 1. निदेशक अध्यक्ष:
- 2. उपसचिव सदस्य;
- 3. अवर सचिव सदस्य।
- (2) छानबीन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से छानबीन समिति की कार्यवाहीयां अविधिमान्य नहीं होगी।
- 10. प्रतिनियुक्ति की अवधि.- (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अतंर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है प्रतिनियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी और प्रतिनियुक्ति की अवधि आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन से पांच वर्ष तक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन से पांच वर्ष से अधिक और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
- (2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए प्रतिनियुक्ति संबंधी निर्देश प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में लागू होंगे ।
- 11. सेवा की शर्तें.- (1) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के वेतन, कार्यग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अविध वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति फायदों के मामलों में सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्समय लागू हो।
  - (2) उपनियम (1) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द द्वारा शासकीय विदेशी दौर करने के लिए, आयोग के अध्यक्ष या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।
  - (3) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जिन्हें वास-सुविधा आबंटित नहीं की गई है, वे केन्द्रीय सरकार के समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे।
  - (4) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर है और जिनके पास समान्य पूल के अधीन सरकारी आवासीय वास-सुविधा है, वे सरकारी आवासीय वास-सुविधा बनाए रखने के लिए पात्र होंगे।
  - (5) (i) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर है ऐसी भविष्य निधि स्कीमों द्वारा शासित होना जारी रहेंगें जो उन पर उनके मूल मंत्रालय या विभाग अथवा संगठन में लागू होता है;
    - (ii) आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से भविष्य निधि के लिए अभिदाय वसूल करेगा और उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत ऐसी रकम प्रेषित करेगा;
      - (iii) देरी से प्रेषित किये जाने पर ब्याज की कोई हानि आयोग द्वारा वहन की जाएगी।
    - (6) आयोग के प्रतिनियुक्ति से भिन्न अधिकारी और कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विरचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा के हकदार होंगे:

परन्तु यदि आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं तो ऐसी समूह बीमा स्कीम द्वारा शासित होना जारी रहेंगे, जो उन पर उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू होती है ।

- (7) (i) आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से बीमा स्कीमों के लिए अभिदाय वसूल करेगा और उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत ऐसी रकम प्रेषित करेगा;
  - (ii) देरी से प्रेषित किये जाने पर ब्याज की कोई हानि आयोग द्वारा वहन की जाएगी।
- (8) आयोग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।
- (9) आयोग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो उन्हें उनके मूल मंत्रालय या विभाग अथवा संगठन में उपलब्ध हैं।
- (10) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 लागू होंगे ।
- 12. अवशिष्ट उपबंध.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के सेवाओं के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामले जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उपबंध नहीं बनाए गए हैं, आयोग द्वारा केन्द्रीय सराकर को उनके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे।

- 13. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 14. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने
			में स्तर	अथवा अचयन	वाले व्यक्तियों के
				पद	लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर सचिव	*3(2022)	अननुसचिवीय	स्तर 11	लागू नहीं	लागू नहीं होता
	*(कार्यभार के		(67700-	होता	
	आधार पर		208700		
	परिवर्तन किया		रुपये)		
	जा सकता है ।)				

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी
वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	यदि कोई हो ।	या प्रोन्नति द्वारा या
अपेक्षित शैक्षिक और	और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत		प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा
अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
	या नहीं ।		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके	लागू नहीं होता
		न हो सकने पर	
		प्रतिनियुक्ति/आमेलन	
		द्वारा	

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो	भर्ती करने में किन
में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	उसकी संरचना ।	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
किया जाएगा		आयोग से परामर्श किया
		जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन	लागू नहीं होता
मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में	समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के	
आठ वर्ष की नियमित सेवा ।	संबंध में विचार करने के लिए)	
प्रतिनियुक्ति:	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी_:	
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	1. सदस्य सचिव अध्यक्ष	
डिग्री;	2. निदेशक सदस्य	

(क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या		
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया	3. पर्यावरण, वन और जलवायु	
हुआ है; या	परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या	
(ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या	उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी	
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-	सदस्य	
10 (56100-177500 रुपये) या स्तर-9 में		
(53100-167800 रुपये) या संयुक्त रुप से दोनों		
में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या		
(ग) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-		
151100 रुपये) मे आठ वर्ष की नियमित सेवा		
की है; या		
2. जिन्हें सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक		
सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन या वित्त या लेखांकन		
के क्षेत्र में न्युनतम पांच वर्ष का अनुभव है ।		

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुभाग अधिकारी	*2(2022)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	स्तर - 8 (47600- 151100 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं होता
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में	(प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार	
आठ वर्ष की नियमित सेवा ।	करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	

## प्रतिनियुक्ति:

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;
- (क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या स्तर-6 में (35400-112400 रुपये) या संयुक्त रुप से दोनों में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; या
- 2. जिन्हें सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन या वित्त या लेखांकन प्रोटोकोल के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है।

- 1. सदस्य सचिव-- अध्यक्ष
- 2. निदेशक -- सदस्य
- 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-- सदस्य

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	*6 (2022)	अननुसचिवीय	स्तर - 7 (44900-	लागू नहीं	30 वर्ष
अनुभाग	*(कार्यभार के		142400 रुपये)	होता	(केंद्रीय सरकार के
अधिकारी	आधार पर				सुसंगत अनुदेशों के
	परिवर्तन किया जा				अनुसार आरक्षित
	सकता है ।)				प्रवर्ग के अभ्यर्थियों
					और सरकारी
					सेवकों के लिए
					आयु शिथिल की
					जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो
स्नातक डिग्री कंप्यूटर ज्ञान सहित,		दो वर्ष	सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड या एक्सेल			
या पावर पाइंट और कंप्यूटर के अन्य			
सुसंगत कार्य भी हैं।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति :  1॰ जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है ;  या  वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) मे पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या; वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) मे आठ वर्ष की नियमित सेवा की है;	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :1. सदस्य सचिव अध्यक्ष 2. निदेशक सदस्य 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी सदस्य	लागू नहीं होता
या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (5200-20200 रुपये) मे दस वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जिन्हें सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन या वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है।		

टिप्पण 1-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 --प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रधान	*1(2022)	अननुसचिवीय	स्तर 12	लागू नहीं होता	लागू नहीं
निजी सचिव	*(कार्यभार के		(78800-		होता
	आधार पर परिवर्तन		209200 रुपये)		
	किया जा सकता है				
	1)				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतन	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति	
मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में	या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए)	
पांच वर्ष की नियमित सेवा।	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :1. अध्यक्ष	
प्रतिनियुक्ति :	अध्यक्ष	
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	2. सदस्य सचिव सदस्य	

डिग्री:

(क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है;

या

(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) मे पांच वर्ष की नियमित सेवा की है;

या

- (ग) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (5600-177500 रुपये) या स्तर-9 में (53100-167800 रुपये) या दोनों में संयुक्त रुप से दस वर्ष की नियमित सेवा की है।
- 2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो से सुपरिचित हो।

 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी -- सदस्य

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान निजी	*3 (2022)	अननुसचिवीय	स्तर - 11 (67700-	लागू नहीं	लागू नहीं
सचिव	*(कार्यभार के आधार पर		208700 रुपये)	होता	होता
	परिवर्तन किया जा सकता				
	है ।)				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रोन्ति : निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति/आमेलन :  1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या स्तर-9 में (53100-167800 रुपये) या संयुक्त रुप से पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (ग) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की
गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	*4 (2022)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	स्तर - 8 (रुपये 47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स के	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं
स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में आठ वर्ष की	(प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में	होता
नियमित सेवा।	विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	
प्रतिनियुक्ति :	मिलकर बनेगी_:	
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	1. सदस्य सचिव – अध्यक्ष	
डिग्री;	2. निदेशक सदस्य	
(क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या		
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया	3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	
हुआ है;	मंत्रालय का उप निदेशक या उससे ऊपर के	
या	स्तर का अधिकारी सदस्य	
(ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या		
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7		
(44900-142400 रुपये) में आठ वर्ष नियमित सेवा		
की हो या स्तर-6 में (35400-112400 रुपये) में		
दस वर्ष की नियमित सेवा की है।		
2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी ) में 120 शब्द		
प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या		
एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर		
कार्यो से सुपरिचित हो ।		

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी	*4 (2022)	अननुसचिवय	स्तर - 7	लागू नहीं	30 वर्ष
सहायक	*(कार्यभार के आधार पर		(44900-	होता	(केंद्रीय सरकार के

परिवर्तन किया	जा	142400 रुपये)	सुसंगत अनुदेशों के
सकता है ।)			अनुसार आरक्षित
			प्रवर्ग के अभ्यर्थियों
			और सरकारी सेवकों
			के लिए आयु शिथिल
			की जा सकती है ।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो
स्नातक डिग्री और जो आशुलिपि (अंग्रेजी या		लिए दो वर्ष।	सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
हिन्दी ) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति			
रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या			
पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो			
से सुपरिचित हो ।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति :	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं होता
1. जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक	(प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में	
सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है।	विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	
या	मिलकर बनेगी :1. सदस्य सचिव	
सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	अध्यक्ष	
उपक्रमों में वेतन मैट्टिक्स के स्तर-6 (35400-	2. निदेशक सदस्य	
112400 रुपये) मे पांच वर्ष की नियमित सेवा की है		
या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	
मे आठ वर्ष की नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स	मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के	
के स्तर- 4 (25500-81100 रुपये) मे दस वर्ष की	स्तर का अधिकारी सदस्य	
नियमित सेवा की है।		
2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी ) में 100 शब्द		
प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या		
एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर		
कार्यो से सुपरिचित हो ।		

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखा	*1(2022)	अननुसचिवीय	स्तर-9	लागू नहीं	लागू नहीं
अधिकारी।	*कार्यभार के		(53100-	होता ।	होता।
	आधार पर		167800/रु.)।		
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं होता।
142400/रु.) में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने	(प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने	
सात वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
प्रतिनियुक्ति:—	1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष;	
1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;	2.निदेशक-सदस्य;	
(क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन	
उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है।	मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के	
या	स्तर का अधिकारी-सदस्य ।	
(ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर		
उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8(47600-		
151100/रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या		
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/रु.) में		
सात वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के		
स्तर 6(35400-112400/-रु.) में आठ वर्ष की		
नियमित सेवा की हो ।		
2. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर		
उपक्रमों आदि में वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम		
तीन वर्ष का अनुभव हो ।		

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या शासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक लेखा अधिकारी।	*1(2022)	अननुसचिवीय	स्तर-7	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।
जावभगरा।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया		(44900 - 142400/रु.)।	81(11.1	81(111
	जा सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300/रु.) में ऐसे	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन	लागू नहीं होता।
लेखापाल जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध	
प्रतिनियुक्ति:—	में विचार करने के लिए)	
1. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
सदृश पद धारण किए हुए है।	1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष;	
या	2.निदेशक-सदस्य;	
(ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में	3.पर्यावरण,वन और जलवायु	
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35400-112400/रु.) में पांच वर्ष की	परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या	
नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-	उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-	
92300/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	सदस्य ।	
2. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में		
वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।		

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखापाल ।	*1(2022)	अननुसचिवीय।	स्तर-5	लागू नहीं	30 वर्ष (केन्द्रीय
	*कार्यभार के		(29200 -	होता ।	सरकार के
	आधार पर		92300/रु.)।		सुसंगत अनुदेशों
	परिवर्तन किया				के अनुसार
	जा सकता है ।				आरक्षित प्रवर्ग के
					अभ्यर्थियों और
					सरकारी सेवकों
					के लिए आयु
					शिथिल की जा
					सकती है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: वाणिज्य में किसी	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से		वाले व्यक्तियों के लिए	पर प्रतिनियुक्ति ।
बैचलर		दो वर्ष ।	
डिग्री ।			
वांछनीय: चार्टर्ड अंकाउंटेंट संस्थान			
द्वारा मान्यताप्राप्त सी ए या आई सी			
डब्ल्यू ए ।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:—	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं होता।
1. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक	(प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के	
सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है।	लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
या	1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष;	
सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	2.निदेशक-सदस्य;	
उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4(25500-	3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन	
81100/रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की	मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर	
हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21700-	का अधिकारी-सदस्य ।	
69100/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की		
हो।		
2. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक		
सेक्टर उपक्रमों में वित्त और लेखा के क्षेत्र में		
न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।		

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	*1(2022)	अननुसचिवीय।	स्तर-6	लागू नहीं	32 वर्ष (केन्द्रीय
(राजभाषा)।	*कार्यभार के		(35400 -	होता ।	सरकार के सुसंगत
	आधार पर परिवर्तन		112400/रु.)।		अनुदेशों के
	किया जा सकता है ।				अनुसार आरक्षित
					प्रवर्ग के
					अभ्यर्थियों और
					सरकारी सेवकों के
					लिए आयु शिथिल
					की जा सकती है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने	सीधी भर्ती जिसके न हो
में मास्टर डिग्री जिसमें बैचलर डिग्री स्तर पर	होता।	वाले व्यक्तियों के लिए दो	सकने पर प्रतिनियुक्ति।
अंग्रेजी वैकल्पिक विषय रहा हो या किसी		वर्ष ।	
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में			
मास्टर डिग्री जिसमें बैचलर डिग्री स्तर पर			
हिंदी वैकल्पिक विषय रहा हो साथ ही			
सरकारी कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर			
उपक्रमों के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव			
हो।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:—	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं होता।
मुख्य विषयों के रुप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ किसी मान्यप्राप्त विश्वविद्यालय से बैंचलर डिग्री।	(प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
(क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष;	
उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है।	2.निदेशक-सदस्य;	
या	3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन	
(ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के	
उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5(29200-	स्तर का अधिकारी-सदस्य ।	
92300/रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या		
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/रु.) में आठ		
वर्ष की नियमित सेवा की हो।		

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधिक	*1(2022)	अननुसचिवीय।	स्तर-13	लागू नहीं	लागू नहीं
सलाहकार।	*कार्यभार के आधार		(123100 -	होता।	होता।
	पर परिवर्तन किया जा		215900/रु.)।		
	सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालिक संविदा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67700-208700/रु.) में ऐसे उप विधिक सलाहकार जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति:— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या न्यायिक सेवा या	विभागीय प्रोन्नित सिमिति/चयन सिमिति (प्रोन्नित या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सभापित - अध्यक्ष; 2.सदस्य सिचव -सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सिचव के स्तर का एक बाह्य विधिक विशेषज्ञ या उससे ऊपर का-सदस्य।	लागू नहीं होता।
अन्य विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12(78800-209200/रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।		
या (ग) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67700-208700/रु.)में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।		

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपविधिक	*1(2022)	अननुसचिवीय।	स्तर-11	लागू नहीं	लागू नहीं
सलाहकार।	*कार्यभार के आधार		(67700 -	होता ।	होता।
	पर परिवर्तन किया		208700/रु.)।		
	जा सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56100 -	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या	लागू नहीं
177500/रु.) में ऐसे सहायक विधिक	चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित	होता।
सलाहकार जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा	से मिलकर बनेगी:—	
की हो ।	1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष;	
प्रतिनियुक्ति:—	2.निदेशक-सदस्य;	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में	3. विधिक सलाहकार या बाह्य विधिक विशेषज्ञ जो	
बैचलर डिग्री;	केन्द्रीय सरकार में निदेशक और उससे ऊपर के	
(क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक	स्तरपर कार्यरत है- सदस्य ;	
सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या		
न्यायिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के सदृश पद		
धारण किए हुए है।		
या		
(ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक		
सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर		
10(56100 – 177500/रु.) में या वेतन		
मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/रु.) में या		
भारतीय विधिक सेवा या अन्य विधिक सेवा में		
संयुक्त रुप से पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो		
1		

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक विधिक	*1(2022)	अननुसचिवीय।	स्तर-10	लागू नहीं	35 वर्ष (केन्द्रीय
सलाहकार।	*कार्यभार के		(56100 -	होता ।	सरकार के सुसंगत
	आधार पर		177500/रु.)।		अनुदेशों के अनुसार
	परिवर्तन किया				आरक्षित प्रवर्ग के
	जा सकता है ।				अभ्यर्थियों और
					सरकारी सेवकों के
					लिए आयु शिथिल
					की जा सकती है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए	प्रोन्नति जिसके न हो
1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि		जाने वाले व्यक्तियों	सकने पर सीधी भर्ती
में बैचलर डिग्री के साथ सरकारी या कानूनी		के लिए दो वर्ष ।	जिसके न हो सकने पर
निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक			प्रतिनियुक्ति ।
कार्य का चार वर्ष का अनुभव हो ।			
या			
विधि में मास्टरडिग्री या पी.एच.डी या एम			
फिल के साथ सरकारी या कानूनीनिकायों या			
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में दो वर्ष का अनुभव			
हो ।			
वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण			
संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का अनुभव हो ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44900 -142400/रु.)	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं
में ऐसे विधिक सहायक जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित	(प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार	होता।
सेवा की हो ।	करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर	

## प्रतिनियक्ति:—

- 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री:
- (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या न्यायिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए हुए है।

या

(ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600 – 151100/रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

या

- (ग) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।
- वांछनीय: विधि में मास्टर या पी एच डी या एम फिल और प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का अनुभव।

बनेगी:—

- 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष:
- 2.निदेशक-सदस्य:
- विधिक सलाहकार या बाह्य विधिक विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार में निदेशक और उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत हैं -सदस्य।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधिक सहायक।	*2(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।	स्तर-7 (44900 - 142400/.)।	लागू नहीं होता।	32 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं:	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने	सीधी भर्ती जिसके न हो
1.िकसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री के साथ सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।	होता।	वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सकने पर प्रतिनियुक्ति।
या			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या पी.एच.डी या एम फिल ।			
वांछनीय अर्हताएं: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का अनुभव हो।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:—	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	लागू नहीं होता।
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में	(प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के	
बैचलर डिग्री;	लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
(क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष;	
उपक्रमों में विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए	2.निदेशक-सदस्य;	
हुए है।	3. विधिक सलाहकार या बाह्य विधिक	
या	विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार में निदेशक और	
(ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर	उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत है - सदस्य ।	
उपक्रमों में किसी विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के		
स्तर 6 (35400 - 112400/रु.) में छह वर्ष की		
नियमित सेवा की हो ।		

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> [फा.सं.क्यू-15014/01/2022-सीपीए] नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2022

**G.S.R. 531(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 11 read with the clause (f) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National

Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government, in consultation with the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment, salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff of the Commission, namely:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);
- (b) "Commission" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas;
- (c) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- 3. Number, salaries and allowances of the officers and staff of the Commission.- The number, salaries and allowances of the officers and other staff of the Commission and their method of recruitment shall be as specified in the Schedule.
- **4.** Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
- **5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 6. Disqualification. No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **7. Appointing Authority.** The Chairperson of the Commission shall be the appointing authority for the officers and staff of the Commission.
- **8. Procedure for screening in case of direct recruitment.**—(1) The procedure for screening in case of direct recruitment shall be following, namely:-
- (a) the Commission shall invite applications for the post through an advertisement;
- (b) all such applications received shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson;
- (c) (i) the screening committee for posts of level-9 and above shall consist of:
- 1. Member-Secretary Chairman;

- 2. Director Member;
- 3. Deputy Secretary Member.
  - (ii) the screening committee for posts of level-8 and below shall consist of:
  - 1. Director Chairman;
  - 2. Deputy Secretary Member;
  - 3. Under Secretary Member.
- (2) Absence of any of the member of the screening committee shall not invalidate the proceedings of the screening committee.
- **9. Procedure for screening in case of appointment by deputation.** (1) The procedure for screening in case of appointment by deputation shall be following, namely:-
- (a) the Commission shall invite applications for the vacant posts through an advertisement on all India basis;
- (b) the applications received shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson;
- (c) (i) the screening committee for posts of level-9 and above shall consist of:
- 1. Member-Secretary Chairman;
- 2. Director Member;
- 3. Deputy Secretary Member.
- (ii) the screening committee for posts of level-8 and below shall consist of:
- 1. Director Chairman;
- 2. Deputy Secretary Member;
- 3. Under Secretary Member.
- (2) Absence of any of the member of the screening committee shall not invalidate the proceedings of the screening committee.
- **10. Period of deputation.** (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall be three years from the date of beginning of the deputation and the period of deputation may be extended upto five years with the approval of the Chairperson of the Commission, and beyond five years and upto seven years with the approval of the Minister for Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (2) The instructions on deputation issued, from time to time, by the Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis.
- 11. Conditions of service.— (1) The conditions of service of the officers and staff of the Commission in matters of pay, joining time, joining time pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, travelling allowance and leave travel concession, and retirement benefits, and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the employees belonging to the corresponding level in the pay matrix of the Central Government.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), prior approval of the Chairperson of the Commission or any other Member of the Commission authorised by the Chairperson in this behalf shall be required for official visits abroad to be undertaken by officers and staff of the Commission.
- (3) The officers and staff of the Commission not allotted accommodation shall be eligible for house rent allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay.
- (4) The officers and staff of the Commission who are on deputation and having Government residential accommodation under general pool shall be eligible to retain Government residential accommodation.
- (5) (i) the officers and staff of the Commission appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation;

- (ii) the Commission shall recover contribution towards provident fund from such officers and staff and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation;
- (iii) any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.
- (6) The officers and staff of the Commission other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the officers and staff of the Commission appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

- (7) (i) the Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such officers and staff and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation;
- (ii) any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.
- (8) The officers and staff of the Commission who are not on deputation shall be governed by the National Pension System.
- (9) The officers and staff of the Commission who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or Organisation.
- (10) The Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 shall apply to the officers and staff of the Commission.
- 12. Residuary provision.- Matters relating to the terms and conditions of service of the officers and staff of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules or such provisions have not been made by the Central Government, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.
- 13. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex- servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.
- **14. Powers to relax.** Where the Central Government in consultation with the Commission, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

## **SCHEDULE**

Name of the	Number of the	Classification.	Level in the pay	Whether	Age-limit for
post.	post.		matrix.	selection post or	direct recruitment.
				non-selection	
				post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	*3(2022)	Non-	Level -11	Not applicable	Not applicable.
Secretary.	*subject to	Ministerial.	(Rs.67700-		
	variation		208700).		
	dependent on				
	workload.				

Educational and other	Whether age and other	Period of probation, if	Method of recruitment
qualifications required for	qualifications prescribed for	any.	whether by direct
direct recruitment.	direct recruitment will be		recruitment or promotion
	applicable in the case of		or deputation or absorption.
	promotees.		
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not	Promotion
		applicable.	failing which
			deputation/
			absorption

deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.  Selection Committee exists, what is its composition.  (11)  (12)  (13)  Promotion: Eight years' regular service as Section Officer in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.  Deputation:  Deputation:  Selection Committee exists, what is its composition.  (12)  (13)  Departmental Promotion Not applicable.  Committee (for considering promotion or selection)
absorption to be made.  (11)  (12)  (13)  Promotion: Eight years'  regular service as Section Officer in level - (Committee (For considering promotion)  8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.  Deputation:  (12)  Departmental Promotion Not applicable.  Committee (for considering promotion or selection)
(11) (12) (13)  Promotion: Eight years' Departmental Promotion Not applicable.  (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.  Deputation: (12) (13)  Departmental Promotion Not applicable.  Committee (for considering promotion or selection)
Promotion: Eight years' regular service as Section Officer in level - 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.  Deputation:  Departmental Promotion Not applicable.  /Selection Committee (for considering promotion or selection)
Promotion: Eight years' regular service as Section Officer in level - 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.  Deputation:  Departmental Promotion Not applicable.  /Selection Committee (for considering promotion or selection)
regular service as Section Officer in level - Committee / Selection 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.  Deputation: Committee (for considering promotion or selection)
8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix. Committee (for considering promotion or selection)
<b>Deputation</b> : promotion or selection)
<del> </del>
1 D. 1.1.2. 1 C C
1. Bachelor's degree from a recognised consisting of:-
university
(a). holding analogous post in the 1. Member Secretary-
government or statutory bodies or public Chairman;
sector undertakings. 2. Director-Member;
Or 3. Director or above level
(b) Five years' regular service in the level-Officer of Ministry of
10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix Environment, Forest and
or level -9 (Rs. 53100-167800) in the pay Climate Change -Member.
matrix or both combined in the
government or statutory bodies or public
sector undertakings.
Or
(c) Eight years' regular service in level-8
(Rs. 47600-151100) in the pay matrix;
2. Minimum five years' experience in the
field of administration or finance or
accounts, in the government or statutory
bodies or public sector undertakings.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

$(1) \qquad (2) \qquad (3) \qquad (4)$	(5) (6)
Section *2(2022) Non- Level -8 Officer. *subject to variation dependent on workload.  Non- Level -8 (Rs.47600- 151100).	Not Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not	Promotion failing which
		applicable	deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Eight years' regular service as	Departmental Promotion	Not
Assistant Section Officer in level- 7	Committee /Selection Committee	applicable.
(Rs.44900-142400) in the pay matrix.	(for considering promotion or	
Deputation:	selection) consisting of:-	
1. Bachelor's degree from a recognised		
university;	1. Member Secretary- Chairman;	
(a). Holding analogous post in the government	2. Director-Member;	
or statutory bodies or Public Sector	3. Deputy Secretary or above level	
Undertakings.	Officer of Ministry of Environment,	
Or	Forest and Climate Change -	
(b) Eight years' regular service in the level-	Member.	
7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or ten		
years regular service in level -6 (Rs.35400-		
112400) in the pay matrix in the government		
or statutory bodies or public sector		
undertakings.		
2. Minimum three years' experience in the		
field of administration or finance or accounts		
or protocol, in the government or statutory		
bodies or public sector undertakings.		

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Section Officer.	*6(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non- Ministerial.	Level -7 (Rs.44900- 142400).	Not applicable	30 years (Age relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the
					Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognised university with computer knowledge including MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.		recruitment.	Direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
<b>Deputation:</b>	Departmental Promotion	Not applicable.
1. Holding analogous post in the	Committee /Selection	
government or statutory bodies or public	Committee (for considering	
sector undertakings.	promotion or selection)	
Or	consisting of:-	
Five years' regular service in level- 6		
(Rs.35400-112400) in the pay matrix or	1. Member Secretary-	
Eight years' regular service in the level- 5	Chairman;	
(Rs.29200-92300) in the pay matrix or	2. Director-Member;	
Ten years' regular service in the level -4	3. Deputy Secretary or above	
(Rs. 5200 - 20200) in the pay matrix.	Level Officer of Ministry of	
2. three years' experience in the field of	Environment, Forest and	
Administration or Finance or Accounts, in	Climate Change -Member.	
the government or statutory bodies or public		
sector undertakings.		

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Principal Private Secretary.	*1(2022) *subject to variation dependent on	Non- Ministerial.	Level -12 (Rs78800- 209200).	Not applicable.	Not applicable.
	workload.				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	* *	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> five years' regular service as Principal	Departmental Promotion	Not
Private Secretary in level -11(Rs.67700-208700) in	Committee /Selection	applicable.
the pay matrix.	Committee (for considering	
Deputation:	promotion or selection)	
1. Bachelor's degree from a recognised university;	consisting of:-	

- (a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 1. Chairperson-Chairman; 2. Member Secretary-(b) Five years' regular service in level 11 (Rs. Member: 67700-208700) in the pay matrix. 3. Joint Secretary or above Level Officer of Ministry of (c) Ten years' regular service in the level- 10 (Rs. Environment, Forest and 56100-177500) in the pay matrix or level - 9 (Rs. Climate Change -Member. 53100-167800) in the pay matrix or combined in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Possessing speed of 120 words per minute in stenography (English) and conversant in MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.
- Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department or the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary.	*3(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non- Ministerial.	Level -11 (Rs.67700- 208700)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	* *	Promotion failing which deputation/ absorption.

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Eight years' regular service as Private	Departmental Promotion	Not
Secretary in level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay	Committee /Selection	applicable.
matrix.	Committee (for considering	
Deputation/absorption:	promotion or selection)	
1. Bachelor's degree from a recognised university;	consisting of:-	
(a) Holding analogous post in the government or		
statutory bodies or public sector undertakings.	1. Member Secretary-	
Or	Chairman;	
(b) Five years' regular service in the level- 10 (Rs.	2. Director-Member;	
56100-177500) in the pay matrix or level-9 (Rs.	3. Director or above Level	

53100-167800) in the pay matrix or combined in the	Officer of Ministry of	
government or statutory bodies or public sector	Environment, Forest and	
undertakings.	Climate Change -Member.	
Or		
(c) Six years' regular service in the level- 8 (Rs.		
47600-151100) in the pay matrix in the government		
or statutory bodies or public sector undertakings.		
2. Possessing speed of 120 words per minute in		
stenography (English) conversant in MS Words or		
Excel or Power Point and other relevant computer		
functions.		

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary.	*4(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non- Ministerial.	Level -8 (Rs.47600- 151100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	Promotion failing which
			deputation/absorption.

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Eight years' regular service as Personal	Departmental Promotion	Not
Assistant in level-7 (Rs.44900-142400 in the pay	Committee /Selection	applicable
matrix).	Committee (for considering	
Deputation:	promotion or selection)	
1. Bachelor's degree from a recognised university.	consisting of:-	
(a) Holding analogous post in the government or		
statutory bodies or public sector undertakings.	1. Member Secretary-	
Or	Chairman;	
(b) Eight years' regular service in the level- 7	2. Director-Member;	
(Rs.44900-142400) in the pay matrix or Ten years'	1 0	
regular service in level -6 (Rs.35400-112400) in the		
pay matrix in the government or statutory bodies or	Environment, Forest and	
public sector undertakings.	Climate Change -Member.	
2. possessing of 120 per minute in stenography		
(English or Hindi) conversant in MS Words or		
Excel or Power Point and other relevant computer		
functions.		

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Personal	*4(2022)	Non-	Level -7	Not	30 years
Assistant.	*subject to	Ministerial.	(Rs.44900-	applicable.	(Age relaxation for
	variation		142400).		reserved category
	dependent of				candidates and
	workload.				government servant
					as per relevant
					instructions of the
					Central
					Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a	Not	Two years for direct	Direct recruitment failing
recognised university and	applicable	recruitment.	which deputation.
possessing speed of 100 words			
per minute in stenography			
(English or Hindi) conversant in			
MS Words or Excel or Power			
Point and other relevant			
computer functions.			

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Departmental Promotion	Not
1. Holding analogous post in the government or	Committee /Selection Committee	applicable.
statutory bodies or public sector undertakings.	(for considering promotion or	
Or	selection) consisting of:-	
Five years' regular service in level -6		
(Rs.35400-112400) in the pay matrix or eight	1. Member Secretary- Chairman;	
years' regular service in level -5 (Rs.29200-	2. Director-Member;	
92300 in the pay matrix) or	3. Deputy Secretary or above	
ten years regular service in level- 4 (Rs. 25500 –	Level Officer of Ministry of	
81100) in the pay matrix in the government or	Environment, Forest and Climate	
statutory bodies or public sector undertakings.	Change -Member.	
3. possessing speed of 100 words per minute in		
stenography (English or Hindi) conversant in		
MS Word or Excel or Power Point and other		
relevant computer functions.		

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Accounts Officer.	ts *subject to variation dependent on	Non-	Level -9 (Rs.53100-	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Seven years' regular service as Assistant Accounts Officer in level- 7 (Rs.44900-	Departmental Promotion Committee /Selection	Not Applicable
Deputation.	Committee (for considering promotion or selection) consisting of:-	
(a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings.  Or	Member Secretary- Chairman;     Director-Member;	
(b) Three years' regular service in level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or seven years regular service in level -7(Rs.44900-142400) in the pay matrix or eight years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	
2. Minimum three years' experience in the field of Finance and Accounts in the government or statutory bodies or Public Sector Undertakings etc.		

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer.	*1(2022) *subject to variation dependent on Workload.	Non- Ministerial.	Level -7 (Rs.44900- 142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable.	rr	Promotion failing Deputation.	which

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> eight years' regular service as	Departmental Promotion	Not
Accountant in level- 5 (Rs.29200-92300) in the pay	Committee /Selection	applicable.
matrix.	Committee (for considering	
<b>Deputation</b> :	promotion or selection)	
1. Holding analogous post in the government or	consisting of:-	
statutory bodies or public sector undertakings.		
Or	1. Member Secretary-	
Five years' regular service in level -6 (Rs.35400-	Chairman;	
112400 in the pay matrix) or eight years regular	2. Director-Member;	
service in level -5 (Rs.29200-92300 in the pay matrix)	3. Deputy Secretary or	
in the government or statutory bodies or public sector	above Level Officer of	
undertakings.	Ministry of Environment,	
2. Minimum three years' experience in the field of	Forest and Climate Change -	
Finance and Accounts in the government or statutory	Member.	
bodies or public sector undertakings.		

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant.	*1(2022)	Non-	Level -5	Not	30 years
	*subject to	Ministerial.	(Rs.29200-	applicable.	(Age relaxation for
	variation		92300).		reserved category
	dependent on				candidates and
	Workload.				government servant
					as per relevant
					instructions of the
					Central
					Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not	Two years for direct	Direct
Bachelor's degree from a	applicable.	recruitment.	recruitment
recognised university in			failing which
Commerce.			deputation.
Desirable:			
CA or ICWA recognised by			
the institute of Chartered			
Accountants.			
(11)		(12)	(13)

Deputation:	Departmental Promotion Committee Not Applicable.
1. Holding analogous post in the	/Selection Committee (for
government or statutory bodies or public	considering promotion or selection)
sector undertakings.	consisting of:-
Or	
Five years' regular service in level- 4	1. Member Secretary- Chairman;
(Rs. $25500 - 81100$ ) in the pay matrix or	2. Director-Member;
eight years' regular service in level -3 (Rs.	3. Deputy Secretary or above Level
21700-69100) in the pay matrix in the	Officer of Ministry of Environment,
government or statutory bodies or public	Forest and Climate Change -
sector undertakings.	Member.
2. Minimum three years' experience in the	
field of finance or accounts in the	
government or statutory bodies or public	
sector undertakings.	

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior	*1(2022)	Non-	Level -6	Not	32 years
Translator	*subject to	Ministerial.	(Rs.35400-	applicable.	(Relaxation for
(OL).	variation		112400).		reserved category
	dependent on				candidates and
	workload.				government servant
					as per relevant
					instructions of the
					Central
					Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Master's degree from a	Not	Two years for direct	Direct recruitment
recognised university in Hindi	applicable.	recruitment.	failing which
with English as an elective			deputation.
subject in Bachelor's degree or			
Master's degree in English			
with Hindi as elective subject			
in Bachelor degree with two			
years' experience in the			
relevant field in government or			
statutory bodies or public			
sector undertakings.			

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Departmental Promotion	Not
	Committee /Selection	applicable.
with Hindi and English as main subjects;	Committee (for considering promotion or selection) consisting of:-	
(a) Holding analogous post in the government or		
statutory bodies or Public Sector Undertakings etc.	1. Member Secretary-	

Or	Chairman;	
(b) Six years' regular service in	2. Director-Member;	
level -5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or eight	3. Deputy Secretary or above	
years' regular service in level -4 (Rs. 25500 –	Level Officer of Ministry of	
81100) in the pay matrix in the government or	Environment, Forest and	
statutory bodies or public sector undertakings.	Climate Change -Member.	

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Advisor.	*1(2022) *subject to variation dependent on Workload.	Non-	Level -13 (Rs. 123100- 215900).	(- /	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	* *	Promotion failing which deputation/short term contract.

(12)	(13)
Departmental Promotion	Not
Committee /Selection	applicable.
Committee (for	
considering promotion /	
selection) consisting of:-	
1. Chairperson- Chairman;	
2. Member	
Secretary-Member;	
3. One External Legal	
Expert at the Level of	
Joint Secretary or above in	ı
Central Government -	
Member.	
	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion / selection) consisting of:-  1. Chairperson- Chairman; 2. Member Secretary-Member; 3. One External Legal Expert at the Level of Joint Secretary or above in Central Government -

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying

or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Legal Advisor.	*1(2022). *subject to variation dependent on workload.	Non- Ministerial.	Level -11 (Rs.67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	* *	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> five years' regular service as Assistant	Departmental Promotion	Not Applicable
Legal Advisor in level-10 (Rs.56100-177500) in the	Committee /Selection	
pay matrix.	Committee (for considering	
<b>Deputation</b> :	promotion or selection)	
Bachelor's degree in Law from a recognised	consisting of:-	
university;		
	1. Member Secretary-	
(a) Holding analogous posts of Indian Legal Services	Chairman;	
or Judicial Service or other Legal Service in the	2. Director-Member;	
government or statutory bodies or public sector	3. Legal Advisor or an	
undertakings.	External Legal Expert	
Or	serving in the Central	
(b) Five years' regular service in level -10	Government at the level of	
(Rs. 56100-177500) in the pay matrix or level -9	Director or above-Member.	
(Rs. 53100-167800 in the pay matrix) or combined		
of Indian Legal Services or other Legal Service in the		
government or statutory bodies or public sector		
undertakings.		

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central

Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	*1(2022).	Non-	Level -10	Not	35 years
Legal	*subject to	Ministerial	(Rs. 56100-	applicable.	(Age relaxation for
Advisor.	variation		177500).		reserved category
	dependent on				candidates and
	workload.				government servant
					as per relevant
					instructions of the
					Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications	Not	Two years	Promotion failing which
1. Bachelor's degree in Law from a	applicable.	for direct	direct
recognised university with four years'		recruitment.	recruitment failing
experience of legal work in the			which deputation.
government or statutory bodies or			
Public Sector Undertakings.			
Or			
Master Degree or PhD or M Phil in			
Law with two years' experience in the			
government or statutory bodies or			
Public Sector Undertakings.			
<b>Desirable:</b> Experience of legal work in			
the field of Pollution control or			
Environment protection.			

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Eight years' regular service as	Departmental Promotion	Not Applicable
Legal Assistant in level-7 (Rs.44900-142400) in	Committee /Selection	
the pay matrix.	Committee (for considering	
Deputation:	promotion or selection)	
1. Bachelor's degree in Law from a recognised	consisting of:-	
university;		
(a) Holding analogous posts of Indian Legal	1. Member Secretary-	
Services or Judicial Service or other Legal	Chairman;	
Service in the government or statutory bodies or	2. Director-Member;	
public sector undertakings.	3. Legal Advisor or an	
Or	External Legal Expert serving	
(b) Three years' regular service in level 8 (Rs.	in Central Government at the	
47600-151100) in the pay matrix of Legal	level of Director and above-	
Service in the government or statutory bodies or	Member.	
public sector undertakings.		
Or		
(c) Eight years' regular service in level 7		
(Rs.44900-142400) in the pay matrix in the		
government or statutory bodies or public sector		
undertakings.		
2. Desirable: Master or PhD or M Phil in Law		
and Experience of legal work in the field of		

Pollution control or Environment protection.	

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	*2(2022)	Non-	Level -7		32years
	*subject to	Ministerial.	(Rs.44900-	applicable.	(Age relaxation for
	variation		142400).		reserved category
	dependent on				candidates and
	workload.				government servant
					as per relevant
					instructions of the
					Central
					Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications:	Not	Two years	Direct recruitment
Bachelor's degree in Law from a	applicable.	for direct	failing which
recognised university with two		recruitment.	deputation.
years' experience of legal work in			
the government or statutory bodies			
or public sector undertakings.			
Or			
Master Degree or PhD or M Phil in			
Law from recognised university			
Desirable qualification:			
Experience of legal work in the field			
of Pollution control or Environment			
protection.			

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Departmental Promotion	Not
Bachelor's degree in Law from a recognised	Committee /Selection	applicable.
university;	Committee	
(a) Holding analogous posts of Legal Service	(for considering promotion	
in the government or statutory bodies or	/selection) consisting of:-	
public sector undertakings.		
Or	1. Member Secretary- Chairman;	
(b) Six years' regular service in level 6	2.Director-Member;	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

(Rs.35400-112400) in the pay matrix of an	y3. Legal Advisor or an External	
Legal Service in the government or statutor	y Legal Expert serving in Central	
bodies or public sector undertakings.	Government at the level of	
	Director and above-Member.	

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. Q-15014/01/2022-CPA] NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.